APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा
निहाल बनाम सरकार
किस्म मुकदमा 136 L.R. नं. 43 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/6/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया निहाल की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीया निहाल की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 10/6/25 को पेश हो।	
10/6/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीनी के नाम से संयुक्त खातेदारी की आराजी वाके ग्राम प्रहलादपुरा पट0 हल्का मवासा भू0अ0नि0 क्षेत्र कैथून तह0 लाडपुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। जिसके खाता संख्या नया 40 पुराना 33 खसरा नं0 247 रकबा 0.17 है0 ख0नं0 33 रकबा 2.00 है0 कुल 2 किता रकबा 2.17 है0 में वादीनी का 1/6 हिस्सा निहित है। वादीनी को उक्त आराजी में खरीद का इंतकाल में निहाल पुत्री गिरिराज दर्ज कर दिया गया जबकि वादीनी के समस्त रिकार्ड जिसमें आधार कार्ड, विक्रय पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजो में वादनी का नाम निहाल पत्नी गिरिराज दर्ज है। जिसकी जानकारी होने पर वादनी ने अनेक बार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र दिये परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त नहीं किया गया। तथा निहाल पुत्री गिरिराज से, निहाल पत्नी गिरिराज दर्ज नहीं किया गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादनी का नाम श्रीमती निहाल पुत्री गिरिराज के स्थान पर श्रीमती निहाल पत्नी गिरिराज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करे। एवं अन्य सहायता जो भी वादनी को मिल सके वह भी दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, विक्रय पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रहलादपुरा जमाबन्दी में स्वतः स्वीकृत नामान्तरण संख्या 632 दिनांक 23.02.2025 बेचान द्वारा निहाल पुत्री गिरीराजएन्ट्री ऑनलाईन हुई है। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्युटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थीया निहाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम प्रहलादपुरा के खाता संख्या 40 में निहाल पुत्री गिरिराज के स्थान पर निहाल पत्नी गिरिराज दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 10/6/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। 10/06/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा	